



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
Published by Authority

सं. 124, श्री विजयपुरम, सोमवार, 29 दिसम्बर, 2025  
No. 124, Sri Vijaya Puram, Monday, December 29, 2025

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन  
सचिवालय

\*\*\*\*\*

अधिसूचना

श्री विजयपुरम, दिनांक 29 दिसम्बर, 2025।

सं. 118/2025/फाइल सं. एम-212/31/2022-PWD.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11.04.1960 की अधिसूचना संख्या 14/3/60-ए.एन.एल. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं का अधिकरण करते हुए उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन अण्डमान लोक निर्माण विभाग की स्थापना में सर्वेक्षक के वर्ग 'ग' अराजपत्रित पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए अभिलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

(i) इन नियमों को "अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन अण्डमान लोक निर्माण विभाग में सर्वेक्षक के वर्ग 'ग' अराजपत्रित पद की भर्ती नियमावली, 2025" कहा जाएगा।

(ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :-

उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2, 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं :-

उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. अयोग्यताएं :-

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने -

क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति / पत्नी जीवित है, या

ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो :

परंतु उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति :-

जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या सगीचीन हो, तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

## 6. व्यावृत्ति :-

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों को प्रभाव नहीं डालेगी, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित करना अपेक्षित है।

एडमिरल डी. के. जोशी  
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.)  
उप राज्यपाल (प्रशासक),  
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./-  
उप सचिव (लो.नि.वि.)

\*\*\*\*\*

अनुसूची

अण्डमान लोक निर्माण विभाग में सर्वेक्षक के पद की भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	सर्वेक्षक
2.	पदों की संख्या	38 (अड़तीस)* (2025) * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	वर्ग 'ग' अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ वेतनमान	वेतन स्तर - 4 (रु. 25500-81100)
5.	चयन पद या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरुष के लिए 18-33 वर्ष महिला के लिए 18-38 वर्ष नोट-I : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की आयु पूरी होने तक की छूट दी जाएगी। नोट-II : भारत के अन्य स्थानों के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पंगी उप-गंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/उद्योग/संस्थापना से सर्वेक्षक के ट्रेड में शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के तहत एक वर्ष या दो वर्ष की अवधि का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (एनटीसी) धारक होना चाहिए।

		अथवा किसी गान्यताप्राप्त संस्थान/संस्थापना से सर्वेक्षक ट्रेड में शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एटीएस) के तहत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) धारक होना चाहिए। (iii) विभाग या किसी प्राधिकृत भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। वांछनीय : संबंधित कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे ?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	02 (दो) वर्ष सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए के अनुसार न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।
10.	भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आगेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा मरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत	100 % सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आगेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आगेलन किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति (डीसीसी) का गठन इस प्रकार है : 1. अधीक्षण अभियंता, अ.लो.नि.वि. — अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता के इंजीनियरिंग अधिकारी, अ.लो. नि.वि. — सदस्य 3. विभागाध्यक्ष (सिविल), डीब्रेट — सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं

अनुसूची का अनुलग्नक

1. सिविल कार्यों के लिए सर्वेक्षण साइट प्लान तैयार करना।
2. सड़क/मवन निर्माण कार्यों के लिए लेवेलस बनाना।
3. लेवल फील्ड वर्क का अनुरक्षण करना।
4. तकनीकी कार्यों में सहायक अभियंता की सहायता करना।
5. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कोई भी अन्य कार्य /उत्तरदायित्व।

**ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION  
SECRETARIAT**

\*\*\*\*\*

**NOTIFICATION**

Sri Vijaya Puram, dated the 29<sup>th</sup> December, 2025.

**No.118/2025/F.No.M-212/31/2022-PWD.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No.14/3/60-ANL dated 11/04/1960, and in supersession of all earlier Notifications to this effect, the Hon'ble Lt. Governor, Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'C' Non –Gazetted post of Surveyor in the Andaman Public Works Department, Andaman and Nicobar Administration, namely :—

**1. Short title and Commencement :-**

- (i) These rules may be called the Andaman and Nicobar Administration Group 'C' Non-Gazetted post of Surveyor in the Andaman Public Works Department Rules, 2025.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. No. of posts, classification and Scale of Pay :-**

The number of said posts, the classification and the Scale of Pay attached thereto shall be as specified in paras 2, 3 & 4 of the Schedule annexed hereto.

**3. Method of recruitment, age limit and qualification :-**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in paras 5 to 13 of the said Schedule.

**4. Disqualifications :-** No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that, the Lt. Governor (Administrator), A & N Islands, may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law, applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

**5. Power to relax :-**

Where the Lieutenant Governor (Administrator), A & N Islands is of opinion, that it is necessary or expedient to do so, he may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Savings :-**

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belongs to the OBC, Schedule Tribes and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Admiral D. K. Joshi  
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)  
Lieutenant Governor,  
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor, A & N Islands.

Sd./-  
Deputy Secretary (PWD)

**SCHEDULE****RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SURVEYOR IN ANDAMAN PUBLIC WORKS DEPARTMENT**

1	Name of post	<b>SURVEYOR</b>
2	No. of post (s)	<b>38 (Thirty eight)* 2025</b> <b>*Subject to variation dependent on workload.</b>
3	Classification	Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Pay Level – 4 (Rs. 25500-81100)
5	Whether selection post or non-selection post ?	Not Applicable
6	Age limit for Direct Recruitment	<b>18-33 years for male</b> <b>18-38 years for female</b> <b>Note-I:</b> The upper age is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. <b>Note-II:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	<b>Essential:</b> (i) Must have passed Secondary School Examination (10 <sup>th</sup> ) from a recognized Institution / Board. (ii) Should possess a one-year or two-year National Trade Certificate (NTC) under the Craftsmen Training Scheme (CTS) in Surveyor Trade from a recognized Institute/ Industry/ Establishment.  OR Should possess a National Apprenticeship Certificate (NAC) under the Apprenticeship Training Scheme (ATS) in Surveyor Trade from a recognized Institute / Establishment. (iii) Should qualify in the competitive examination conducted by the department / or any authorized recruitment agency. <b>Desirable :</b> One year experience in the field.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 (two) years (Direct recruit would be require to successfully complete a mandatory induction training of atleast two weeks duration, as prescribed by the competent authority for completion of probation.)
10.	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	100% by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion / deputation / transfer, grades from which promotion / deputation / transfer to be made.	Not Applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	<p><b>The Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation consists of :</b></p> <p>1. Superintending Engineer, APWD - Chairman</p> <p>2. E.O. to Chief Engineer, APWD - Member</p> <p>3. HOD (Civil), DBRAIT - Member</p>
13. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

**ANNEXURE TO SCHEDULE**

1. To prepare survey site plan of Civil works.
2. To make levels for road / building works.
3. To maintain level field work.
4. To assist Assistant Engineer for technical works.
5. Any other duties / responsibility assigned by the superiors.